



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक विविध ज़मानत आवेदन सं० - 1923 वर्ष 2026

अब्दुल मन्नान @ मोनू

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रमुख सचिव गृह लखनऊ के माध्यम से

.....प्रतिवादी (गण)

अपीलकर्ता (ओं) के अधिवक्ता

: गुलाम रब्बानी, सैफ अहमद

प्रतिवादी (ओं) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 23

माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बहस सुनी और पत्रावली का अवलोकन किया।

यह वर्तमान ज़मानत आवेदन आवेदक की ओर से उसे प्र.सू.रि./मुकदमा अपराध सं०. 31 वर्ष 2026, धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट, पुलिस स्टेशन- कोतवाली रुदौली, ज़िला- अयोध्या में दौरान विचारण ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आवेदक के कब्जे से प्रतिबंधित पदार्थ, यानी 1250 ग्राम गांजा बरामद होने की बात कही गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे किसी दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के कारण इस मामले में झूठा फंसाया गया है। कथित बरामदगी झूठी और मनगढ़ंत है। इसके अतिरिक्त, बरामद किया गया प्रतिबंधित सामान छोटी

मात्रा से थोड़ा ही ऊपर है। उक्त बरामदगी का कोई निष्पक्ष साक्षी नहीं है। एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 का अनुपालन नहीं किया गया है क्योंकि आवेदक की व्यक्तिगत तलाशी के समय राजपत्रित अधिकारी मौजूद नहीं थे।

आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का 24 मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसे ज़मानत आवेदन के पैरा 21 में विधिवत समझाया गया है, और वह 17.1.2026 से कारागार में निरुद्ध है। ज़मानत पर रिहा होने के बाद आवेदक के भाग जाने या साक्षियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदक को ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

माननीय ए.जी.ए. ने ज़मानत की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि बरामद किया गया मादक पदार्थ व्यावसायिक मात्रा से ऊपर है।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि बरामद की गई प्रतिबंधित सामग्री छोटी मात्रा से थोड़ी अधिक है; आवेदक 17.1.2026 से कारागार में निरुद्ध है; आवेदक के आपराधिक इतिहास को विधिवत स्पष्ट किया गया है और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए एक उपयुक्त मामला पाता हूँ।

तदनुसार, ज़मानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

आवेदक **अब्दुल मन्नान उर्फ मोनू** को, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध/प्र.सू.रि. संख्या में शामिल है, उसे एक निजी मुचलका और उसी राशि के दो प्रतिभू का संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए जो कि निम्नलिखित शर्तों के साथ न्याय हित में अधिरोपित की जा रही हैं:-

- (i) आवेदक परीक्षण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा/उसे डराएगा-धमकाएगा नहीं।

- (iii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने प्रकट करने से रोका जा सके, अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
- (iv) आवेदक को इस आशय का एक वचन-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों वह किसी भी प्रकार का स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त का पालन न करने पर, विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर विधि अनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- (v) आवेदक को विचारण न्यायालय के समक्ष नियत प्रत्येक तिथि पर, या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होना आवश्यक है। उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, यदि कारण पर्याप्त नहीं है, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है।
- (vi) यदि आवेदक विचारण के दौरान ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो, विचारण न्यायालय विधि के अनुसार, बी.एन.एस. की धारा 209 के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करेगा।
- यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान ज़मानत आवेदन के संदर्भ में हैं और इनका विचारण के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

मार्च 20, 2026

श्रवण

(राजीव भारती, न्यायाधीश)